

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2012/आश्विन 17, 1934

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 158

No. 169]

DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2012/ASVINA 17, 1934

[N.C.T.D. No. 158

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग एवं आवास

(आबंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2012

फा. सं. 4(1)/विविध/भा-II/लो.नि.वि./ए-II/2009/12328-334.—मूलभूत नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सरकारी आवास (सामान्य पूल) संशोधन नियमावली, 2012 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) संशोधन नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 8 का संशोधन.—सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली 1977 (यहाँ बाद में मूल नियमावली के रूप में उल्लिखित) में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अधिकारियों की कुछ श्रेणियों के लिए खाली आवासों का आरक्षण :—

(1) टाइप-I तथा II में स्पष्ट रिक्तियों का 10% तथा टाइप-III और IV आवास में स्पष्ट रिक्तियों का 5% अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों का आबंटन हेतु आरक्षित हैं।

(2) टाइप-I और टाइप-IV तक के आवासों में स्पष्ट रिक्तियों का 5% महिला अधिकारी पूल के लिए आबंटन हेतु आरक्षित है जैसा कि एस आर-317-बी-8(1) में निहित उपबंधों के अनुसार है।”

3. नियम 14 में संशोधन.—मूल नियमावली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियम 14 में खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

14(2) आवास बदलना.—निदेशक (आबंटन) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवास बदलने हेतु समस्त आवेदन जो कलेण्डर माह की 20 तारीख तक प्राप्त हो गए हों उन्हें आगामी माह एकीकृत प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जायेगा। आवास बदलने की प्रतीक्षा सूची तथा प्रारम्भिक आबंटन की प्रतीक्षा सूची, दोनों की एकीकृत सूची एक समान होगी। किसी विशेष माह में सूची में सम्मिलित अधिकारी की परस्पर वरिष्ठता उनकी प्राथमिकता तिथियों के क्रम में निर्धारित होगी। तथापि, निदेशक (आबंटन) जैसा कि नियम 20(क) में विनिर्दिष्ट है, अत्याधिक गंभीर मामलों में चिकित्सा आधार पर उसी कालोनी में प्राथमिकता के आधार पर आवास बदलने के आवेदन पर विचार कर सकता है।

4. नियम 20 में संशोधन — मुख्य नियमावली के नियम 20, तदर्थ आबंटन के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

20(क) (i) निम्नलिखित मामलों में सरकारी आवासों (टाइप I से IV) का तदर्थ आबंटन स्पष्ट रिक्तियों के 5% तक किया जा सकता है —

चिकित्सा आधार:—

- (क) टी.बी., पलम्युनरी ट्यूबोक्लोसिस (केवल गंभीर मामलों में)
 (ख) असाध्य कैंसर
 (ग) एड्स
 (घ) किडनी फेल होना
 (ङ.) हृदय रोग: “हृदय रोगों में ग्रेड ‘III’ तथा ग्रेड ‘IV’ के लक्षण वाला हृदय रोग जिसमें एन्जाइना ग्रेड ‘III’ तथा ग्रेड ‘IV’ या कंजैस्टिड कार्डियक फेल्योर ग्रेड ‘III’ तथा ग्रेड ‘IV’ या ग्रेड ‘III’ तथा ग्रेड ‘IV’ के लक्षणों वाला असाध्य रक्तचाप आता है” ।

(च) शारीरिक रूप से अशक्त कर्मचारी —

- (1) दृष्टिहीन अर्थात् जो निम्नलिखित किसी स्थिति से ग्रसित है:
 (क) पूर्णतः दृष्टिहीनता
 (ख) जो करेक्टिंग लेंस के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो ।
 (ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या कम के कोण तक अंतरित होती है ।
2. बधिर : बधिर उन्हें कहा जायेगा जिनकी श्रवण इन्द्रियां सामान्य जीवन कार्यों के लिए निष्क्रिय हैं । उन्हें सुनाई नहीं देता, किसी स्तर की ऊँची आवाज़ को नहीं समझ सकते । इस वर्ग में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं । जिनकी श्रवण क्षमता बेहतर कान (गंभीर विकृति) में 90 डेसिबल से अधिक है या दोनों कानों में पूर्ण श्रवण हीनता है ।

3) विकलांगता की दृष्टि से अक्षम कर्मचारी :

क) अर्थात् जिनमें ऐसी शारीरिक त्रुटि या विकृति है जो सामान्य कार्यकलापों में उनकी हड्डियों, पेशियों तथा जोड़ों में अनावश्यक व्यवधान पैदा करती हैं ।

छ) जीवन के लिए संकटकारी कोई अन्य रोग

- ii) आवेदक को सरकारी आवास में परिवर्तन/आबंटन के लिए किसी सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसी सभी मामलों की जाँच एक जाँच समिति करेगी जिसके सदस्य होंगे :—

प्रधान सचिव (लो.नि.वि.)

डीन (एम ए एम सी)

दो सरकारी डाक्टर, प्रधान सचिव (लो.नि.वि.) द्वारा सहयोजित

उप सचिव / सहायक आवास आयुक्त (आबंटन)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य सचिव

iii) चिकित्सा आधार पर सरकारी आवास के आबंटन हेतु स्वयं तथा आश्रितों जिसमें माता-पिता तथा आश्रित बच्चे शामिल हैं, विचार किया जायेगा ।

(iv) चिकित्सा आधार पर नया आबंटन आवेदक की पात्रता से एक टाइप नीचे किया जायेगा ।

नियम 20 *ख तथा *ग को नियम 20 ख तथा ग से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. डी. शर्मा, उप सचिव (पी.डब्ल्यू.डी.)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND HOUSING
(ALLOTMENT BRANCH)
NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2012

F. No. 4(1)/Misc./P-II/PWD/A-II/2009/12328-334.—In pursuance of the provisions of the rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Government of NCT of Delhi, Allotment of Government Residential (General Pool) Rules, 1977, as following, namely:—

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Government of NCT of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2012.
(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 8 – Allotment of Government Residences (General Pool) Rules – 1977 (hereinafter referred to as the principal Rules), for rule 8 the following shall be substituted, namely:-

Reservation of vacant Residences for certain category of officers:-

- (1) 10% of clear vacancies in Type-I & II residence and 5% of clear vacancies in Type-III and IV residence are reserved for allotment to Scheduled caste and Scheduled Tribe officers.
- (2) 5% of clear vacancies in Type-I to IV of residences are reserved for allotment to Lady Officers Pool as per provisions contained in SR-317-B-8(1)."

3. Amendment of rule 14 – In the principal rules, In the Government of National Capital Territory of Delhi in rule 14, for clause (2), the following shall be substituted, namely:-

- 14 (2) **CHANGE OF RESIDENCE:-** All applications for change made in the form prescribed by the Director of Allotment and received upto the 20th day of a calendar month shall be included in the unified waiting list in the succeeding month. Waiting list for change of accommodation as well as for initial allotment will be the same as

Unified List. The inter seniority of the officer included in the list in any particular month shall be determined in the order of their priority dates. However, the Director of Allotment can consider the application for change of accommodation on medical ground as specified in rule 20 (a) on priority in respect of extreme compassionate case in the same locality".

4. Amendment of rule 20 – In the principal rules, for rule 20, ADHOC ALLOTMENT, the following shall be substituted, namely:-

- 20 (A) (i) Adhoc allotment of Govt. residence (Type-I to IV) may be made upto 5% in all of the clear vacancies, in the following cases –

MEDICAL GROUNDS:-

- a) T. B. Pulmonary tuberculosis (serious cases only)
- b) Malignant Cancer
- c) AIDS
- d) Kidney Failure
- e) Heart Ailments: "Heart ailments having symptoms of Grade 'III' and Grade 'IV' which includes serious disabilities like Angina Grades 'III' and 'IV' or congested Cardiac failure Grades 'III' and 'IV', or Malignant Hypertension with symptoms of Grades III and IV.
- f) PHYSICALLY DISABLED EMPLOYEES –
 - 1) Blind i.e. those who suffer from either of the following conditions:
 - a) Total absence of sight
 - b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses.
 - c) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.
 - 2) Deaf: The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear, understand sounds at all events with amplified speech. The cases included in the category will be those having hearing less more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears.
 - 3) ORTHOPEDICALLY DISABLED EMPLOYEES:
 - a) i.e. those who have a severe physical defects or deformity which causes undue interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

g) Any other life threatening disease

- ii) The applicant should have to furnish a medical certificate issued by any Govt. Hospital for the purpose of change / allotment of Govt. Accommodation. All such cases will be scrutinized by a committee having following members.

Pr. Secretary (PWD)

Chairman

Dean (MAMC)

Member

Two Govt. Doctors to be co-opted by Pr. Secy. (PWD)

Members

Dy. Secy. / AHC (Allotment)

Member Secy.

- iii) Allotment of Govt. Accommodation on medical ground will be considered for self and dependents consisting of Parents and dependent Children.

- iv) All the fresh allotments on medical ground shall be done one type below the entitlement of the applicant.

Further sequence of Rule 20 *b and *c shall be substitute by Rule 20 B and C

By Order and in the Name of the I.t. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA, Dy. Secy. (PWD)

3847 DG/12-2